संख्या- 19 /2026/703/ सत्रह-म-17-1099/38/2026

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
मत्स्य विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांक 21 अप्रैल, 2026

विषयः मत्स्य विकास निधि के उपयोग हेतु दिशा- निर्देश निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-617/सा0शा0/ दिनांक 20.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मत्स्य विकास निधि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त नदियों में मत्स्याखेट पट्टा/नीलामी से प्राप्त धनराशि, जो मत्स्य विकास निधि के खाते में जमा है, को मत्स्य विकास कार्यक्रमों के उपयोग में लाये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निम्नवत हैः-

1. जनपद में मत्स्य विकास निधि का उपयोग मत्स्य विकास कार्यक्रमों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति निम्नवत होगी:-

(1) जिलाधिकारी -अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी -सदस्य
(3) मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी -सदस्य
(4) जिला पंचायत राज अधिकारी -सदस्य
(5) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के जनपद स्तरीय अभियंता -सदस्य
(6) जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारी -सदस्य सचिव

2. जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित बिन्दुओं पर विनिश्चय करेगी:-

(1) वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन ।
(2) निधि से मदवार धनराशि का अवधारण।
(3) अवसंरचनात्मक मदों में स्थल चयन।
(4) लाभार्थियों का चयन।
(5) अवसंरचनात्मक मदों में निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन।
(6) निधि से संचालित कार्यक्रमों का आवधिक एवं प्रभावी अनुश्रवण ।
(7) अन्य कोई कार्य विनिश्चय, जो समिति मत्स्य विकास हेतु उचित समझे।

3. जिला स्तरीय समिति की बैठक के कोरम के लिए समिति के अध्यक्ष को छोड़कर कम से कम

03 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में एक बार अनिवार्य रूप से आहूत की जायेगी। यद्यपि यथावश्यकता जिलाधिकारी की अनुमति से सदस्य सचिव बैठक को पूर्व सूचना पर कभी भी आहूत कर सकते हैं। बैठक का कार्यवृत्त अनिवार्य रूप से जारी किया जायेगा, जिसकी पुष्टि भी समिति की अंगली बैठक में करायी जायेगी।

4. मत्स्य विकास निधि खातों में जमा धनराशि से निम्नलिखित मत्स्य विकास कार्यक्रम/ मद में धनराशि व्यय की जा सकेगी:-

(1) सामुदायिक भवन का निर्माण

(2) मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों एवं जलाशयों का पुनर्विकास

(3) मत्स्य विपणन हेतु बाजार एवं दुकान की अवस्थापना, व्यवस्थापन एवं मत्स्य बाजार में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधा यथा पेयजल, विद्युत कोल्ड चेन, साफ-सफाई इत्यादि की व्यवस्था

(4) फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना

(5) मत्स्य पालकों के लिए नवीन तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण/भ्रमण कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय

(6) मत्स्य बीज उत्पादन सम्बंधी अवस्थापना यथा मत्स्य बीज हैचरी, ब्रूड बैंक की स्थापना इत्यादि

(7) मत्स्य आखेट के पर्यवेक्षण/ निरीक्षण/ सुरक्षा हेतु मोटर बोट, लाइफ जैकेट इत्यादि की व्यवस्था

<u>क- सामुदायिक भवन का निर्माण</u>

1. **योजना का उद्देश्य:-** मत्स्य विकास निधि से मत्स्य पालकों / मत्स्य आखेटकों को आधारभूत सुविधा प्रदान किए जाने हेतु सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा।

2. **स्थल चयन प्रक्रिया-**

सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी/ मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं सामुदायिक भवन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

3. **सामुदायिक भवन निर्माण के मानकः-**

3.1 पंचायती राज विभाग, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं० 1075/33-3-2016-182/2013 दिनांक 27 मई, 2016 व 30/2020/1594/33-3-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 एवं 181-4/33-3-2020-182/2018 टी.सी. दिनांक 22.07.2020 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाता है। पंचायत विभाग द्वारा बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण की भूकम्परोधी सहित लागत रु० 18.03

लाख निर्धारित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त वित्तीय सीमा के अंतर्गत ही सामुदायिक भवन की लागत प्रतिबन्धित रहेगी। यद्यपि यदि पंचायती राज विभाग कालान्तर में उक्त लागत में कोई परिवर्तन करता है, तो वह परिवर्तन इन दिशा-निर्देशों पर भी प्रभावी होगा।

3.2 सामुदायिक भवन का निर्माण बहुउद्देशीय पंचायत भवन निर्माण भूकम्परोधी सहित के मानक के अनुसार मत्स्य विकास निधि से मत्स्य पालकों / मत्स्य आखेटकों के ग्रामों में आधारभूत सुविधा प्रदान किए जाने हेतु कराया जाएगा।

4. **कार्यदायी संस्था-**

सामुदायिक भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन जिलास्तरीय समिति द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

5. **निर्माण लागत-**

सामुदायिक भवन का निर्माण लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (SOR) के अनुसार उक्त वितीय सीमा के अंतर्गत रहते हुए किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन / सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाएं उक्त वित्तीय सीमा में समिलित रहेंगी। नामित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु धनराशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा प्रवधानित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सामुदायिक भवन सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा,

जिसकी देख-रेख एवं अनुरक्षण ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

6. **योजना संबंधी अन्य निर्देशः**

6.1 सामुदायिक भवन का उपयोग वरीयता पर मत्स्य पालकों द्वारा सामुदायिक कार्यक्रमों हेतु किया जायेगा। रिक्ति उपलब्ध रहने की दशा में ग्राम के अन्य नागरिक भी इसका उपयोग कर सकेंगे।

6.2 सामुदायिक भवन के रख रखाव, विद्युत बिल भुगतान एवं साफ-सफाई हेतु संबंधित ग्राम पंचायत प्रति बुकिंग कोई न्यूनतम् एवं वहनीय (Affordable) फीस भी निर्धारित एवं वसूल कर सकती है।

6.3 सामुदायिक भवन के उपयोग एवं समय-समय पर उसके अनुरक्षण कार्य ओकलन हेतु ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक ग्राम पंचायत सदस्य एवं एक मत्स्य पालक सदस्य होगा। अनुरक्षण कार्य का आगणन संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित अवर अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा।

6.4 सामुदायिक भवन का उपयोग किसी भी दशा में किसी के स्थायी निवास/ कार्यालय/ भन्डारण हेतु

नहीं किया जाएगा।

<u>ख- मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों एवं जलाशयों का पुनर्विकास</u>

1. **योजना का उद्देश्यः-** मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों जलाशयों का पुनर्विकास कार्य मत्स्य विकास निधि के माध्यम से किया जा सकेगा, जिससे मत्स्य बीज उत्पादन/ वितरण की क्षमता में वृद्धि, प्रक्षेत्र के आस-पास स्थित मत्स्य पालकों / मत्स्य आखेटकों को गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में मत्स्य बीज / मत्स्य अंगुलिकाओं की सतत उपलब्धता होने से मत्स्य

पालकों / मत्स्य आखेटों के तालाबो में मत्स्य उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि तथा आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

2. **चयन प्रक्रिया-**

मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों एवं विभागीय जलाशयों के पुनर्विकास हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। चयन हेतु मत्स्य प्रक्षेत्र/ जलाशय विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होना आवश्यक है। जपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। मत्स्य प्रक्षेत्र एवं विभागीय जलाशयों का पुनर्विकास के प्रस्ताव का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

3. **मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों एवं विभागीय जलाशयों का पुनर्विकास के मानकः-** मत्स्य विभाग के प्रक्षेत्रों/जलाशयों का पुनर्विकास अंतर्गत सिविल कार्य का आगणन लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची (SoR) के अनुसार तैयार किया जायेगा।

4. **कार्यदायी संस्था-**

विभाग के प्रक्षेत्रों/ विभागीय जलाशयों का पुनर्विकास हेतु कार्यदायी संस्था का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

5. **निर्माण लागतः-**

विभाग के प्रक्षेत्रों एवं विभागीय जलाशयों का पुनर्विकास कार्य मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग की निर्धारित दर अनुसूची (SoR) के अनुसार वास्तविक आगणन के आधार पर किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

6. विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों एवं जलाशयों के पुनर्विकास अंतर्गत निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जा सकेंगेः

(1) प्रक्षेत्रों/ जलाशयों के पुनर्विकास हेतु सुधार कार्य
(2) जलापूर्ति व्यवस्था हेतु नलकूपों की स्थापना एवं मरम्मत
(3) मत्स्य बीज उत्पादन एवं आपूर्ति हेतु आवश्यक उपकरण/ मशीनरी का क्रय
(4) प्रक्षेत्र की सुरक्षा हेतु सीमा प्रिफेब्रिकेटेड फेन्सिंग
(5) ऐसे अन्य कार्य जो मत्स्य प्रक्षेत्र से मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि हेतु सहायक हों
(6) प्रक्षेत्रो / जलाशयों के पुनर्विकास हेतु अन्य आवश्यक कार्य, जो आवश्यक हो

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा जनपदीय मत्स्य अधिकारी को हस्तान्तरित किया जायेगा।

7. **अन्य निर्देशः**

7.1 मत्स्य प्रक्षेत्र एवं जलाशय के पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित कार्य/ मद किसी अन्य योजनान्तर्गत विगत 05 वर्षों में संपादित न कराए गए हों, की स्थिति में ही मत्स्य विकास निधि से संपादित कराए जाए।

7.2 संपादित सिविल कार्यों का आगणन सक्षम स्तर से तैयार कराते हुए अनुमोदन उपरांत कार्य का सम्पादन नामित कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

7.3 परियोजना स्वीकृति के समय प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में आगणन के साथ-साथ परियोजना की आर्थिकी एवं आउटकम्स विवरण का परीक्षण करते हुए परियोजना अनुमोदित की जाएगी।

<u>ग- मत्स्य विपणन हेतु बाजार एवं दुकान की अवस्थापना / व्यवस्थापन एवं मत्स्य बाजार में</u>

<u>मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधा यथा पेयजल, विद्युत, कोल्डचेन, साफ-सफाई इत्यादि की व्यवस्था</u>

1. योजना का उद्देश्यः- मत्स्य विकास निधि से मत्स्य बाजार एवं मत्स्य दुकान का निर्माण व्यवस्थापन एवं मत्स्य बाजार में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधा यथा पेयजल, विद्युत, कोल्डचेन, साफ-सफाई इत्यादि कराया जाएगा। मत्स्य बाजार एवं मत्स्य दुकान का निर्माण/ व्यवस्थापन मछलियों की विक्री, सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिये एवं स्थानीय मत्स्य पालकों / मत्स्य आखेटकों को रोजगार, राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास, उत्पादों के उचित मूल्य हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे मछली की शिकारमाही उपरान्त होने वाली क्षति को कम करने, राजस्व बढ़ाने, रोजगार के नये अवसरों का सृजन एवं स्वच्छ वातावरण में मत्स्य विक्रय तथा मत्स्य विक्रेताओं को मूलभूत सुविधा उपलब्ध होगी।

उक्त के साथ-साथ परिवहन के साधनों की कमी एवं उचित भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण विक्रय हेतु अवशेष मछली शीघ्र खराब होने की प्रकृति के कारण बिक्री योग्य नहीं रहती है. इसलिए आंतरिक /ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दरों पर मछली की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर मत्स्य बाजार/दुकान जिसमें मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए कोल्डचेन अवस्थित हो, की आवश्यकता है।

2. **स्थल चयन प्रक्रियाः-**

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बाजार के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता का चिन्हांकन किया जायेगा। मत्स्य बाजार ऐसे स्थान पर निर्मित किये जाये जहाँ मत्स्य विक्री की अधिक संभावनाएं एवं आवागमन के साधन तथा मार्ग की सुगमता हो। ग्रामीण क्षेत्र में मत्स्य बाजार/दुकान के निर्माण की आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी / मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं मत्स्य बाजार की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

नगरीय क्षेत्र में मत्स्य बाजार/दुकान का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए जिसमें स्थल चयन का भी उल्लेख हो की संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव नगर निकाय द्वारा जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी मत्स्य निरीक्षक तथा अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं मत्स्य बाजार की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी।

मत्स्य बाजार/ दुकान के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ग्राम/ नगर में चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

3. **मत्स्य बाजार निर्माण हेतु मानकः** चिन्हित मत्स्य बाजार परिसर में दुकानों की संख्या का

निर्धारण आवश्यकता एवं उपलब्ध धनराशि के अनुसार किया जायेगा। प्रति दुकान की इकाई लागत भारत सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के दिशा-निर्देश के बाजार अवस्थापना (फिश कियोस्क) के अनुलग्नक-।। तालिका के बिन्दु संख्या 7.2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कराया जाएगा, जिसमें प्रति दुकान की लागत 10 लाख रुपये अनुमन्य होगी। कालान्तर में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अथवा इसके बन्द हो जाने पर केन्द्र/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में उक्त धनराशि की सीमा में किया जाने वाला कोई भी परिवर्तन यहाँ पर भी मान्य होगा। मत्स्य बाजार व्यवस्थापन के अंतर्गत पूर्व निर्मित / संचालित मत्स्य बाजार / मण्डी में मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधा यथा पेयजल, विद्युत, कोल्डचेन, साफ-सफाई इत्यादि कार्य अनुमन्य आगणन के अनुसार सम्पादित कराया जा सकेगा।

4. **कार्यदायी संस्था-**

मत्स्य विपणन हेतु बाजार, दुकान का निर्माण/व्यवस्थापन हेतु कार्यदायी संस्था का चयन जिला स्तरीय समिति, द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

5. **निर्माण लागतः-**

मत्स्य बाजार का निर्माण, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमन्य मानक दरों के अनुसार किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात किया जायेगा। भवन में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी। निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु धनराशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा प्रवधानित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

6. **मत्स्य बाजार में मूलभूत आवश्यकताएँ:-**

(1) पर्याप्त पार्किंग स्थान
(2) लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा
(3) मछली ड्रेसिंग इकाई
(4)कोल्ड रूम की सुविधा, भंडारण के लिए डीप फ्रीजर, इन्सुलेटेड मछली बक्से
(5) उचित छत और टाइल वाले फर्श के साथ स्वच्छ स्टॉल
(6) पैकिंग और परिवहन सुविधा
(7) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली
(8) आराम कक्ष, पेयजल और शौचालय की सुविधा
(9) उचित जल निकासी
(10) ओवरहेड टैंक के साथ पर्याप्त पानी की आपूर्ति
(11) सुरक्षा के लिए गेट के साथ कंपाउंड दीवार

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मत्स्य बाजार एवं दुकान को कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम पंचायत / नगर निकाय को हस्तान्तरित किया जायेगा। मत्स्य बाजार/दुकान का देख-रेख एवं अनुरक्षण कार्य संबंधित ग्राम पंचायत नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

7. **निर्मित मत्स्य बाजार, दुकान का किराया निर्धारण एवं आवंटनः**

मत्स्य बाजार में निर्मित दुकान एवं मत्स्य विक्रय हेतु अन्य निर्मित दुकानो का न्यूनतम वार्षिक किराया जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित करते हुए निर्मित दुकानों के आवंटन की

कार्यवाही की जायेगी।

8. **योजना संबंधी अन्य निर्देशः**

8.1 मत्स्य बाजार/दुकान का रख-रखाव, सुरक्षा एवं साफ-सफाई हेतु संबंधित ग्राम पंचायत / नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

8.2 मत्स्य बाजार/ दुकान के अनुरक्षण कार्य के आकलन हेतु ग्राम प्रधान/ अध्यक्ष नगर निकाय की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक ग्राम पंचायत सदस्य/ पार्षद एवं एक मत्स्य पालक सदस्य होगा। अनुरक्षण कार्य का आगणन ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित अवर अभियंता एवं नगर निकाय की स्थिति में सम्बंधित नगर निकाय के अवर अभियन्ता द्वारा तैयार किया जाएगा।

8.3 निर्मित मत्स्य बाजार/ दुकान में मत्स्य/ मात्स्यिकी से सम्बंधित अन्य आनुसंगिक निवेश एवं उपकरण के विपणन के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री का विपणन नहीं किया जायेगा।

<u>घ- फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना</u>

1. **योजना का उद्देश्यः-** मत्स्य विकास निधि से फिश लैन्डिंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। फिश लैन्डिंग सेंटर का निर्माण ऐसे स्थान, जहाँ मत्स्य पालक मत्स्य आखेटक नदियों, झीलों या अन्य जल स्रोतों से पकड़ी गई मछलियों को लाते हैं और उन्हें बाजार से बेचने या आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करते हैं, पर कराया जायेगा। यह केंद्र मत्स्य पालको / मत्स्य आखेटों और व्यापारियों के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का काम करेगा। यह न केवल मत्स्य पालको मत्स्य आखेटकों को एक स्थायी आजीविका प्रदान करेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को ताजा और गुणवत्तापूर्ण मछली उपलब्ध हो सकेगी।

2. **स्थल चयन प्रक्रियाः** ग्रामीण क्षेत्र में फिश लैन्डिंग स्टेशन का निर्माण कराने हेतु आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का भी उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं फिश लैन्डिंग स्टेशन की उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। फिश लैंडिंग सेन्टर निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

3. **फिश लैंडिंग सेन्टर के मानकः** लैंडिंग सेन्टर का स्थान ऐसा होना चाहिए जो मत्स्य पालकों / मत्स्य आखेटकों के लिए सुलभ हो एवं जल स्रोतों के निकट हो, ताकि सेन्टर पर शिकारमाही उपरान्त मछलियों आसानी से लायी जा सके। लैंडिंग सेन्टर हेतु इकाई लागत का आगणन, मानकीकरण लोक निर्माण विभाग के नवीनतम अनुसूचित दर (SOR) के अनुसार कराया जाएगा। जनपद में आवश्यकतानुसार फिश लैन्डिंग सेंटर का निर्माण कराया जाएगा।

4. **कार्यदायी संस्था-**

फिश लैंडिंग सेन्टर निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन जिला स्तरीय समिति, द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

5. **निर्माण लागतः-**

लैंडिंग सेन्टर की स्थापना लोक निर्माण की दर अनुसूची के अनुसार किया जायेगा। सेन्टर पर विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन/सौर ऊर्जा संयत्र, शौचालय, पीने का पानी आदि मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण की इकाई लागत वास्तविक आगणन के अनुसार होगी।

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मत्स्य बाजार एवं दुकान को कार्यदायी संस्था द्वारा ग्राम पंचायत /नगर निकाय को हस्तान्तरित किया जायेगा। मत्स्य बाजार/दुकान का देख-रेख एवं अनुरक्षण कार्य संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा किया जायेगा।

6. मूलभूत आवश्यकताएँ:-

लैंडिग सेन्टर में उचित भंडारण सुविधाएँ होनी चाहिए, जैसे कि सीत भंडारण आदि।

मछलियों की सफाई, पैकिंग और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था।

लैंडिंग सेन्टर से मछलियों के परिवहन के लिए सुचारु सड़क मार्ग।

फिश लैंडिंग सेंटर में आवश्यक मत्स्य गतिविधि हेतु जल की उपलब्धता।

पेय जल की उपलब्धता आदि मूलभूत सुविधाएं।

7. योजना संबंधी अन्य निर्देश:

7.1 फिश लैंडिंग सेन्टर का उपयोग मत्स्य पालक मत्स आखेटकों द्वारा मछलियों के शिकारमाही उपरांत एकत्रीकरण, ग्रेडिंग, पैकिंग आदि हेतु किया जायेगा।

7.2 फिश लैंडिंग सेन्टर का रख रखाव, विद्युत बिल भुगतान एवं साफ-सफाई हेतु संबंधित ग्राम पंचायत कोई न्यूनतम् एवं वहनीय (Affordable) फीस भी निर्धारित कर सकती है।

7.3 फिश लैंडिंग सेल्टर के उपयोग एवं समय-समय पर उसके अनुरक्षण कार्य आकलन हेतु ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें एक ग्राम पंचायत सदस्य एवं एक मत्स्य पालक सदस्य होगा। अनुरक्षण कार्य का आगणन संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित अवर अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगा।

इ- मत्स्य पालकों के लिए नवीन तकनीकों से संबंधित प्रशिक्षण/भ्रमण कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय

1. **योजना का उद्देश्य:-** मत्स्य पालकों को उच्च तकनीकी ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण, राज्यान्तर्गत / अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के आयोजन आदि किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों से मत्स्य पालकों को नवीन मत्स्य पालन पद्धतियों की जानकारी प्राप्त होगी, जिससे मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। इस मद अंतर्गत कुल वार्षिक परिव्यय का अधिकतम 12 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा सकेगी, जिसमें प्रशिक्षण, राज्यान्तर्गत / अन्तर्राज्यीय भ्रमण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत एवं कार्यक्रमों/ परियोजनाओं के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु 02 प्रतिशत धनराशि प्रशासनिक व्यय मद में व्यय की जा सकेगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार के संस्थानो / उ.प्र. पण्डित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय (दुआसु) में भारत सरकार के मानको के अनुसार आयोजित किये जायेंगे।

2. **प्रशिक्षणार्थियों का चयन:-**

प्रशिक्षण/भ्रमण के इच्छुक आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन जनपदीय मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में किया जायेगा तथा जनपदीय मत्स्य अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण/भ्रमण हेतु प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से मद / कार्यक्रम हेतु नियत धनराशि जो कुल वार्षिक परिव्यय का 10

प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, की सीमान्तर्गत जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षार्थियों की सूची मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जाएगी।

3. राज्यान्तर्गत / अन्तर्राज्यीय भ्रमण व प्रशिक्षण, दक्षता विकास प्रदर्शनी और सेमिनारों के मानक- प्रशिक्षण कार्यक्रम मत्स्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानक एवं दरों के अनुसार सम्पादित कराये जायेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मत्स्य पालन से जुड़े नवीनतम तकनीकों और प्रबंधन विधियों पर जैसे एकीकृत मत्स्य पालन, मत्स्य बीज उत्पादन हैचरी, बायोफ्लॉक, आर.ए.एस. ड्रोन तकनीकि, आई.ओ.टी.. एक्यापोनिक्स तथा विपणन और प्रसंस्करण आदि नवीन तकनीकि पर आधारित होंगे।

4. **प्रदर्शनी और डेमो:** जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए जनसामान्य को नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु नवीनतम उपकरणों/मत्स्य सम्बंधी किटों का वितरण, तकनीकों की प्रदर्शनी आयोजित करना तथा विभिन्न मात्स्यिकी के आदर्श मॉडल स्थापित करना जैसे बायोफ्लॉक, आर.ए.एस हैचरी, फीड उल्पादन यूनिट, केज फार्मिंग और तालाब प्रबंधन मोडल, मनोरंजक माल्स्यिकी (एक्वेरिया हाउस) आदि का प्रदर्शन।

<u>(च) मत्स्य बीज उत्पादन सम्बंधी अवस्थापना यथा मत्स्य बीज हैचरी , मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना इत्यादि</u>

1. **योजना का उद्देश्य:-** मत्स्य विकास निधि से मत्स्य बीज उत्पादन सम्बंधी अवस्थापना यथा मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य ब्रूड बैंक आदि का स्थापना किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम/मद से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज (फिश सीड) के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा मत्स्य पालकों को गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकेगी। मत्स्य ब्रूड बैंक स्थापना से गुणवत्तायुक्त ग्रीडर मत्स्य बीज / यूह स्टॉक की उपलब्धता, आनुवंशिक गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज की उपलब्धता आदि सुनिश्चित हो सकेगा। इस परियोजना से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

2. **स्थल चयन प्रक्रिया:** मत्स्य बीज उत्पादन सम्बंधी अवस्थापना यथा मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना की आवश्यकता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए भूमि की उपलब्धता सहित ग्राम सभा द्वारा खुली बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जायेगा एवं प्रस्ताव खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। पारित प्रस्ताव में उपयुक्त स्थल चयन का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित लेखपाल, मत्स्य विकास अधिकारी / मत्स्य निरीक्षक तथा खण्ड विकास अधिकारी की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त समिति द्वारा स्थल की उपयुक्तता एवं उपयोगिता का उल्लेख करते हुए संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या जनपदीय मत्स्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य बीज उत्पादन सम्बंधी अवस्थापना यथा मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य बूड बैंक की स्थापना / निर्माण हेतु ग्राम एवं चयनित स्थल का अनुमोदन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा।

3. **मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य बूड बैंक की स्थापना के मालक:-**

मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य चूड बैंक की स्थापना हेतु मत्स्य विभाग भारत सरकार के

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड अथवा मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित मानक एवं गाइडलाइन में निर्धारित क्षेत्रफल एवं धनराशि के अनुसार कराया जायेगा। मत्स्य बीज हैचरी एवं मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना हेतु स्थल चयन ऐसे जल स्रोत के पास किया जाए, जो प्रदूषण मुक्त हो और परियोजना हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा हो। जल का पी.एच., तापमान, ऑक्सीजन स्तर, अमोनिया, नाइट्रेट, आदि की गुणवत्ता का मूल्यांकन अवश्य करा लिया जाए।

4. **कार्यदायी संस्था-**

मत्स्य बीज हैचरी, मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना / निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था का चयन जिला स्तरीय समिति, द्वारा वित्त विभाग के सुसंगल शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

5. **निर्माण लागतः-**

मत्स्य बीज हैचरी एवं मत्स्य चूड बैंक के स्थापना / निर्माण हेतु मत्स्य विभाग द्वारा निर्धारित मानक (प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना एवं राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मानक एवं दरों के अनुसार) किसी प्राधिकृत सरकारी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत अनुमानित सीमा तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात किया जायेगा। परियोजना स्थल पर हैचरी एवं मत्स्य ब्रूड बैंक हेतु आवश्यक अवसंरचना का निर्माण कार्य, विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन, जलापूर्ति हेतु नलकूप, पीने का पानी इत्यादि समस्त मूलभूत अवसंरचना आवश्यकताओं के दृष्टिगत आगणन तैयार किया जायेगा। निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु धनराशि का भुगतान वित्त विभाग द्वारा प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मत्स्य बीज हैचरी एवं मत्स्य ब्रूड बैंक का संचालन, देख-रेख एवं अनुरक्षण हेतु मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा। परियोजना का अनुरक्षण/संचालन विभाग मत्स्य प्रक्षेत्रों की भांति किया जाएगा।

6. मूलभूत आवश्यकताएँ:-

(1) मत्स्य बीज हैचरी हेतु हैचरी कॉम्पलेक्स (ब्रीडिंग पूल, हैचिंग पूल आदि), ब्रूड पॉन्ड, रियरिंग पोल्ड, नर्सरी पॉन्ड, ओवरहेड टैंक, नलकूप, पैकिंग शेड, मत्स्य बीज उत्पादन सम्बंधी अन्य उपकरण / रसायन इत्यादि।

(2) मत्स्य ब्रूड बैंक हेतु वाइल्ड ब्रूड स्टाक पॉन्ड, क्वारेन्टाइन टैंक, ब्रूड स्टाक पॉन्ड, हैचरी कॉम्पलेक्स, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, ओवरहेड टैंक, ऑफिस कम लाइब्रेरी, नलकूप, वाहन पार्किंग एरिया आदि।

(3) मत्स्य बीज हैचरी एवं फ्रेश वाटर मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना परियोजना में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना/ एन.एफ.डी.बी के मानक के अनुसार अन्य समस्त कम्पोनेन्ट का स्थापना/निर्माण।

7. **योजना संबंधी अन्य निर्देशः**

7.1 मत्स्य बीज हैचरी एवं मत्स्य ब्रूड बैंक की स्थापना / निर्माण परियोजना का रख-रखाव, विद्युत बिल भुगतान एवं साफ-सफाई जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किया जाएगा।

7.2 संपादित सिविल कार्यों का आगणन सक्षम स्तर से तैयार कराते हुए अनुमोदन उपरांत कार्य का सम्पादन नामित कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

7.3 परियोजना स्वीकृति के समय प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट में आगणन के साथ-साथ परियोजना

की आर्थिकी एवं आउटकम्स का परीक्षण करते हुए परियोजना अनुमोदित की जाएगी ।

(छ) मत्स्य आखेट के पर्यवेक्षण/निरीक्षण/सुरक्षा हेतु मोटर बोट, लाइफ जैकेट इत्यादि की व्यवस्था

1. **योजना का उद्देश्य:** नदियों / बहती जलधाराओं, झीलों, तालाबों, जलाशयों एवं अन्य जलस्रोतों में मत्स्याखेट गतिविधियों का पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबंधन एवं तत्संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मत्स्य विकास निधि से मत्स्य आखेट के पर्यवेक्षण/निरीक्षण/सुरक्षा हेतु मोटर बोट, लाइफ जैकेट इत्यादि पर व्यय किया जा सकेगा। परियोजना संचालन से मत्स्य पालकों / मत्स्याखेटकों को आवंटित जलक्षेत्रों में अवैध शिकारमाही के रोकथाम/कुशल अनुश्रवण, डाटाबेस एकत्रीकरण तथा मत्स्य प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी।

2. **इकाई लागत एवं समाहित घटकः**

मत्स्य आखेट के पर्यवेक्षण/निरीक्षण/सुरक्षा हेतु मोटर बोट, लाइफ जैकेट इत्यादि हेतु एफ.आर.पी. मोटर बोट इनबोर्ड / आउटबोर्ड 10 एच.पी इंजन सहित, लाइफ जैकेट, जाल, आवश्यक संचार उपकरण एवं अन्य सामग्री का क्रय किया जाना होगा। परियोजना की इकाई लागत प्रधानमंत्री सम्पदा योजना के मार्गनिर्देश दिनांकः 01.11.2021 के विन्दु संख्याः 1.3 (बी) में निर्धारित मानक एवं दर के अनुसार अधिकतम रु. 5.00 लाख होगा, क्रय की जा सकेगी।

3. **पर्यवेक्षण/निरीक्षण/सुरक्षा हेतु मोटर बोट का उपयोग**

इसका उपयोग जनपद, मण्डल एवं प्रदेश के अधिकारियों द्वारा जनपद की सीमांतर्गत नदियों में मत्स्याखेट के अनुश्रवण/निरीक्षण/पर्यवेक्षण आदि हेतु किया जाएगा।

मोटर बोट का अनुरक्षण तथा ईधन व्यय आदि की व्यवस्था मत्स्य विकास निधि से नियमानुसार किया जाएगा। उक्त मोटर बोट जनपदीय मत्स्य अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी।

(ज) अन्य मार्गदर्शी निर्देश

क्या करें	क्या न करें
1. निधि का उपयोग उसी नदी/क्षेत्र में प्राथमिकता से किया जाए जहाँ से नीलामी आय प्राप्त हुई है। 2. सभी कार्य तकनीकी स्वीकृति एवं सक्षम समिति की संस्तुति के उपरांत ही कराए जाएँ। 3. स्थायी एवं दीर्घकालीन प्रभाव वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। 4. मछुआरा सहकारी समितियों एवं परंपरागत मछुआरों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। 5. व्यय का पृथक-पृथक मदवार लेखा संधारण एवं ऑडिट सुनिश्चित किया जाए।	1. बिना स्वीकृत कार्य-योजना के व्यय न किया जाए। 2. निजी हितों अथवा अपारदर्शी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित न किया जाए। 3. पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक गतिविधियाँ (विदेशी प्रजाति संचयन आदि) न की जाएँ।

(झ) कार्य योजना का आउटकम

प्रस्तावित कार्य-योजना के माध्यम से निम्नलिखित आउटकम प्राप्त किये जा सकेंगे:-

1. नदी मत्स्य संसाधनों का वैज्ञानिक संवर्धन

2. मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि
3. परंपरागत मछुआरों की आय एवं आजीविका सुरक्षा
4. अवैध एवं अनियंत्रित मत्स्य आखेट पर नियंत्रण
5. स्थायी मत्स्य अधोसंरचना का विकास

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 20-04-2026 17:08:04

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 19 / 2026/703 /(1)सत्रह –म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
5. निबन्धक,सहकारी समितियॉ उत्तर प्रदेश ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी / जिला विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
12. समस्त उप निदेशक मत्स्य/ सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।